अग्रेसिव हाइब्रिड फंड

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के दौर में बड़े काम के एएचएफ

सर्वजीत के सेन

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव निवेशकों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। साथ ही लंबे इंतजार के बाद ब्याज दर में कटौती की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में निवेश के मोर्चे पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिए अग्रेसिव हाइब्रिड म्युचुअल फंड के जरिये निवेश समझदारी भरा कदम हो सकता है।

फिस्डम के अनुसंधान प्रमुख नीरव आर. करकेरा ने कहा, 'वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, मुद्रास्फीति के दबाव और ब्याज दर में संभावित कटौती जैसी आशंकाओं के कारण शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव वाले मौजूदा माहौल में निवेश के लिए अग्रेसिव हाइब्रिड फंड बिल्कुल उपयुक्त हैं। संतुलित परिसंपत्ति आवंटन के कारण ऐसे फंड इन चुनौतियों से निपटने में अधिक समर्थ होते हैं।'

महिंद्रा मनुलाइफ म्युचुअल फंड की वरिष्ठ इक्विटी फंड मैनेजर फातिमा पाचा ने कहा, 'हाइब्रिड फंड सभी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होते हैं। ये फंड इक्विटी बाजार में नए निवेशकों के लिए सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि इनसे परिसंपत्ति वर्ग में भरोसा बढ़ाने में मदद मिलती है।'

उतार-चढ़ाव से बचाव

अग्रेसिव हाइब्रिड फंड के तहत परिसंपत्ति का 65 से 80 फीसदी आवंटन शेयरों में और शेष बॉन्ड में किया जाता है। आम तौर पर ये फंड अपने इक्विटी पोर्टफोलियो के लिए लार्जकैप शेयरों में अधिक निवेश करने की रणनीति अपनाते हैं। इससे मिडकैप एवं स्मॉलकैप शेयरों में अधिक निवेश वाले पोर्टफोलियो के मुकाबले उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है।

ब्याज दरों में गिरावट आने पर पोर्टफोलियो के बॉन्ड वाले हिस्से से पूंजीगत लाभ मिलता है। मगर ब्याज दरों में वृद्धि होने पर अल्प अवधि में नुकसान भी हो सकता है।

करकेरा ने कहा, 'फिलहाल इस श्रेणी में 70 फीसदी से अधिक आवंटन लार्जकैप शेयरों में किया जाता है। इससे पोर्टफोलियो को स्थिरता मिलती है और उस पर मिडकैप एवं स्मॉलकैप में अधिक आवंटन वाले पोर्टफोलियो के मुकाबले बाजार के उतार-चढ़ाव का कम असर होता है। स्मॉलकैप शेयरों में 5 से 7 फीसदी और बाकी मिडकैप शेयरों में निवेश किया जाता है। इससे फंड के इक्विटी पोर्टफोलियो में मिडकैप एवं स्मॉलकैप से संबंधित जोखिम कम होता है। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयर फिलहाल अधिक मूल्यांकन पर कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा डेट वाला हिस्सा पोर्टफोलियो को अधिक स्थिरता प्रदान करता है।'

आर्थिक मंदी और कंपनियों के सुस्त मुनाफे जैसी स्थितियों का सामना करने के लिए लार्जकैप शेयर आम तौर पर मिडकैप एवं स्मॉलकैप शेयरों के मुकाबले बेहतर स्थिति में होते हैं।

पाचा ने कहा, 'वित्त वर्ष 2024 जैसी बाजार परिस्थितियों में हाइब्रिड फंड शुद्ध इक्विटी फंड के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन करते हैं। मगर वे लंबी अवधि में जोखिम के बाद भी बेहतर रिटर्न देते हैं क्योंकि बाजार का रुख आम तौर पर चक्रीय होता है। शेयर बाजार में पिछले दो वर्षों के शानदार रिटर्न के बाद 2025 उतार-चढ़ाव वाला वर्ष हो सकता है। ऐसे में हाइब्रिड फंड का प्रदर्शन आम तौर पर बेहतर होता है। इसके अलावा हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक इस साल दरों में कटौती करेगा। इससे डेट फंड को अधिक रिटर्न देने में मदद मिलेगी क्योंकि बॉन्ड की कीमतों में तेजी आ सकती है।'

किसे करना चाहिए निवेश?

अग्रेसिव हाइब्रिड फंड उन निवेशकों को आकर्षित करते हैं जो अपेक्षाकृत कम उतार-चढ़ाव के साथ शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं।

करकेरा ने कहा, 'यह फंड कम जोखिम लेने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है क्योंकि डेट आवंटन के कारण इसमें उतार-चढ़ाव का जोखिम कम होता है। इसके अलावा यह फंड उन नए निवेशकों के लिए भी उपयुक्त हैं जो शेयर बाजार में अपेक्षाकृत सुरक्षित तरीके से प्रवेश करना चाहते हैं और जिनके वित्तीय लक्ष्य मध्यावधि के लिए हैं।'

इन बातों का रखें ध्यान

निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो का आकलन करना चाहिए और जोखिम लेने की अपनी क्षमता के अनुरूप फंडों का चयन करना चाहिए। उन्हें निवेश से पहले फंड के पिछले प्रदर्शन पर भी गौर करना करना चाहिए। वैसे तो इन फंडों की रफ्तार अपेक्षाकृत स्थिर होती है, लेकिन कभी-कभी उतार-चढ़ाव का दौर भी दिख सकता है। इसलिए निवेशकों को कम से कम 5 साल के लिए निवेश पर विचार करना चाहिए।

इन फंडों में निवेश करने का सबसे प्रभावी तरीका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) है। करकेरा ने कहा, 'अग्रेसिव हाइब्रिड फंडों में कम से कम 3 से 5 साल तक निवेश रखना चाहिए। इससे निवेशक को बाजार चक्रों के प्रभावों से निपटने और संतुलित रिटर्न हासिल करने में मदद मिलती है।' उनका सुझाव है कि मध्यम जोखिम लेने वाले निवेशक अपने पोर्टफोलियो का 15 से 25 फीसदी आवंटन इस फंड में कर सकते हैं जबकि कम जोखिम लेने वाले निवेशकों को 10 से 15 फीसदी आवंटन करना चाहिए।

एनएचपीसी NHPC

एक नवरत्न कंपनी

हरित ऊर्जा के साथ सतत भविष्य को सशक्त बनाते हुए

31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीनों के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की विवरणी का सार

(करोड़ रूपए में)

क्र. सं.	विवरण	एकल						समेकित					
		समाप्त तिमाही			समाप्त नौ माह		समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही			समाप्त नौ माह		समाप्त वर्ष
		31.12.2024 अनंकेक्षित	30.09.2024 अनंकेक्षित	31.12.2023 अनंकेक्षित	31.12.2024 अनंकेक्षित	31.12.2023 अनंकेक्षित	31.03.2024 अंकेक्षित	31.12.2024 अनंकेक्षित	30.09.2024 अनंकेक्षित	31.12.2023 अनंकेक्षित	31.12.2024 अनंकेक्षित	31.12.2023 अनंकेक्षित	31.03.2024 अंकेक्षित
1	प्रचालनों से कुल आय	1,970.34	2,549.26	1,695.04	6,935.72	6,747.40	8,396.50	2,286.76	3,051.93	2,055.50	8,032.89	7,744.02	9,630.96
2	कर पूर्व निवल लाभ (असाधारण मद पूर्व)	338.41	1,258.29	699.69	2,923.28	3,156.19	4,273.35	434.36	1,665.56	909.12	3,600.41	3,904.22	5,014.95
3	कर पूर्व निवल लाभ (असाधारण मद पश्चात)	338.41	1,258.29	699.69	2,923.28	3,156.19	4,273.35	434.36	1,665.56	909.12	3,600.41	3,904.22	5,014.95
4	निम्न को आरोप्य अवधि हेतु कर पश्चात निवल लाभ												
	- मूल कंपनी के स्वामी	273.60	898.03	542.35	2,190.06	3,028.45	3,721.80	231.23	900.03	486.74	2,153.03	3,052.05	3,595.95
	- अनियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-	-	98.90	160.31	136.54	339.07	342.47	403.59
5	निम्न को आरोप्य अवधि हेतु कुल व्यापक आय [लाभ एवं अन्य व्यापक आय सहित (कर पश्चात)]:												
	- मूल कंपनी के स्वामी	189.22	892.85	594.22	2,111.59	3,114.56	3,696.84	146.72	894.69	538.40	2,074.13	3,137.53	3,570.42
	- अनियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-	-	98.76	160.18	136.34	338.66	341.87	403.04
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 10/- रुपए प्रत्येक)	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03
7	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर अन्य इक्विटी	28,840.26	28,651.04	28,054.94	28,840.26	28,054.94	27,230.92	30,201.46	30,054.31	29,595.47	30,201.46	29,595.47	28,623.56
8	निवल मूल्य	38,885.29	38,696.07	38,099.97	38,885.29	38,099.97	37,275.95	40,246.49	40,099.34	39,640.50	40,246.49	39,640.50	38,668.59
9	प्रदत्त ऋण पूंजी	36,029.11	34,070.70	31,258.68	36,029.11	31,258.68	33,018.86	38,491.10	36,227.50	32,521.91	38,491.10	32,521.91	34,578.00
10	ऋण इक्विटी अनुपात	0.93	0.88	0.82	0.93	0.82	0.89	0.96	0.90	0.82	0.96	0.82	0.89
11	प्रति शेयर आय (मूल एवं डायल्यूटेड) - (गैर–वार्षिकी) (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/- रुपए प्रत्येक)												
	- विनियामक आस्थगित लेखा शेष में गतिशीलता से पूर्व (₹ में)	0.25	0.86	0.52	2.07	2.95	3.47	0.20	0.79	0.39	1.92	2.83	3.19
	- विनियामक आस्थगित लेखा शेष में गतिशीलता के पश्चात् (₹ में)	0.27	0.89	0.54	2.18	3.01	3.71	0.23	0.90	0.48	2.14	3.04	3.58
12	पूंजी विमोचन आरक्षित	2,255.71	2,255.71	2,255.71	2,255.71	2,255.71	2,255.71	2,255.71	2,255.71	2,255.71	2,255.71	2,255.71	2,255.71
13	डिबेंचर (बॉण्ड) विमोचन आरक्षित	950.61	950.61	1,129.30	950.61	1,129.30	950.61	950.61	950.61	1,129.30	950.61	1,129.30	950.61
14	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर)	1.49	2.93	2.16	2.34	3.38	2.74	1.57	3.25	2.33	2.50	3.62	2.91
15	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात (आईएससीआर)	1.67	4.18	5.21	3.11	8.18	5.87	1.77	4.66	5.76	3.34	8.97	6.23
16	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट :

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 एवं 52 के अंतर्गत स्टॉक एक्स्चेंजेज में दाखिल वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। इन वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजेज की वेबसाइट : **www.nseindia.com** और **www.bseindia.com** पर एवं कंपनी की वेबसाइट : **https://www.nhpcindia.com/welcome/page/105** पर उपलब्ध है।
2. आवश्यक्तानुसार पिछली अवधि के आंकड़े पुनर्समूहित/पुनः व्यवस्थित/पुनः वर्गीकृत/पुनः उल्लिखित गए हैं।

31-12-2024 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम देखने के लिए QR कोड को स्कैन करे

एन एच पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम)
सीआईएन: L40101HR1975GOI032564
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा) भारत
ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 एवं ISO 45001: 2018 प्रमाणित कंपनी

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 07 फ़रवरी, 2025

एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
हस्ता/–
(राजेन्द्र प्रसाद गोयल)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन-08645380

महत्वपूर्ण सूचनाः शेयरधारकों से विनम्र अनुरोध है कि कंपनी से संबन्धित सभी सूचनाएँ इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्राप्त करने के लिए कृपया अपने संबन्धित Depository प्रतिभागी/कंपनी के पास अपना ई-मेल पता अपडेट कराने का कष्ट करें।

https://www.nhpcindia.com join us:

हरित ऊर्जा में निहित शक्ति

੧ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) **Punjab & Sind Bank** (A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

ई-नीलामी
(केवल ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री)

जोनल ऑफिस गुड़गांव
इंस्टीट्यूशनल प्लॉट नं.- 151, सेक्टर- 44, गुड़गांव-122003 फोन- 0124-4843537

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना दिनांक 25.02.2025 (दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) चल और 8(6) अचल के प्रावधान के साथ अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस जारी किया जाता है। इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता, बंधककर्ता और गारंटीकर्ता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/भारित है, जिसका प्रतीकात्मक/भौतिक कब्जा बैंक/सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, नीचे उल्लिखित खाते/खातों में बकाया राशि की वसूली के लिए 'जहां है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जाएगा। उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर/सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण/बकाया राशि/आरक्षित मूल्य/ई–नीलामी की तिथि व समय, ईएमडी राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

अचल संपत्तियों का विवरण

क्रं. सं.	उधारकर्ता/गारंटर और शाखा का नाम	संपत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि और बकाया राशि (रु.) + भविष्य का ब्याज और उस पर अन्य खर्च	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	संपत्ति निरीक्षण दिनांक और समय	कब्जे की स्थिति (भौतिक या प्रतीकात्मक)	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि और समय	ई–नीलामी की तिथि/समय	प्राधिकृत अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या	QR CODE FOR LOCATION SITE	QR CODE FOR PROPERTY IMAGE	QR CODE FOR SERVICE PROVIDER
1.	रीना/मैसर्स आर.के. इंटरप्राइजेज बीओ: पलवल	कृष्णा कॉलोनी पलवल में स्थित 100 वर्ग गज की आवासीय संपत्ति खेवट/खाता संख्या 2229/2712	05.06.2023 / रु. 34,92,050/-	रु. 37,00,000/- रु. 3,70,000/- रु. 37,000/-	18.02.2025 10:00 AM to 4:00 PM	सांकेतिक कब्जा	21.02.2025 Upto 4:00 PM	25.02.2025 12:00 PM to 3:00 PM	श्रीमती सुमन शर्मा (मुख्य प्रबंधक) मोबाइल: 9899748099/9914770123 ईमेल आईडी: A0121@psb.co.in			
2.	राकेश चौधरी बीओ: अजरौंदा	दुकान नंबर 41, लोवर ग्राउण्ड फ्लोर, पार्श्वनाथ सिटी मॉल, सेक्टर 12 फरीदाबाद में वाणिज्यिक संपत्ति	30.09.2022 / रु. 23,04,062/-	रु. 46,20,000/- रु. 4,62,000/- रु. 46,200/-	18.02.2025 10:00 AM to 4:00 PM	सांकेतिक कब्जा	21.02.2025 Upto 4:00 PM	25.02.2025 12:00 PM to 3:00 PM	श्रीमती सुमन शर्मा (मुख्य प्रबंधक) मोबाइल: 9899748099 ईमेल आईडी: A0121@psb.co.in			

नियम एवं शर्तें:-

1. ऑनलाइन ई–नीलामी नीलामी मंच यानी https://baanknet.in के माध्यम से दी गई तारीख और समय पर आयोजित की जाएगी। बैंकनेट साइट के लिए क्यूआर कोड। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके https://baanknet.in के माध्यम से पंजीकरण करना आवश्यक है। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को अपने केवाईसी दस्तावेज और बैंक विवरण अपलोड करने की भी आवश्यकता है। पंजीकरण और अपलोड करने की औपचारिकताएं पहले ही पूरी कर ली जानी चाहिए।
2. ईएमडी भुगतानः इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल–आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके पोर्टल (https://baanknet.in) पर पंजीकरण करें। ई–केवाईसी की प्रक्रिया डिजिलॉकर के माध्यम से की जानी है और केवाईसी सत्यापन पूरा होने के बाद, इच्छुक बोलीदाता/खरीदार लॉगिन कर सकते हैं और ईएमडी भुगतान कर सकते हैं। ईएमडी भुगतान के लिए इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को खरीदार के रूप में लॉगिन करने के बाद पोर्टल पर दिए गए खरीदार मैनुअल द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। भुगतान गेटवे के माध्यम से और चालान बनाकर तथा वॉलेट में राशि जमा करके भी किया जा सकता है। भुगतान निर्धारित समय से पहले ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए। इच्छुक बोलीदाता ई–नीलामी बंद होने से पहले https://baanknet.in नीलामी पोर्टल पर प्री–बिड ईएमडी जमा कर देगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, असफल बोलीदाताओं की ईएमडी की वापसी के लिए, बोलीदाता को https://baanknet.in पर लॉग इन करके तथा क्रेता मैनुअल में दी गई वापसी प्रक्रिया का पालन करके ई–नीलामी सेवा प्रदाता से ऑनलाइन रिफंड प्राप्त करना होगा। असफल बोलीदाता की ईएमडी राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। सफल एच1 बोली के बाद शेष राशि खाता संख्या 80235040070003 नामः एनईएफटी इनवर्ड एसटीपी पार्किंग खाता आईएफएससी कोडः PSIB0008023 में जमा की जानी है।
3. बोली लगाते समय बोलीदाता को उपरोक्त वेबसाइट में उल्लिखित सूची में से वह संपत्ति चुननी होगी जिसके लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है औरध्या बोलीदाता सीधे संपत्ति आईडी दर्ज कर सकता है। प्रश्नों के लिए संपर्क नंबर–8291220220 और ईमेल आईडी – support.baanknet@psballiance.com पर संपर्क करें। पंजीकरण, लॉगिन और बोली नियमों के लिए, कृपया https://baanknet.in के होम पेज में दिए गए क्रेता मैनुअल लिंक को देखें।
4. बोली लगाने के समय बोलीदाता के ई–वॉलेट में ईएमडी राशि के बराबर या उससे अधिक पर्याप्त शेष राशि होनी चाहिए।
5. ई–नीलामी के दौरान, बोलीदाताओं को अंतिम बोली के अलावा आपसी बोली में उच्च बोली लगाने की अनुमति होगी और बोली राशि में वृद्धि उल्लिखित वृद्धि राशि के बराबर होनी चाहिए। बोलीदाताओं को लगातार उच्च बोली लगाने के लिए दस मिनट का समय दिया जाएगा और यदि अंतिम उच्चतम बोली के दस मिनट की समाप्ति के बाद किसी भी बोलीदाता द्वारा कोई उच्च बोली नहीं लगाई जाती है, तो ई–नीलामी बंद कर दी जाएगी।
6. इच्छुक बोलीदाताओं की यह जिम्मेदारी है कि वे बिक्री नोटिस, ई–नीलामी की नियम व शर्तें, ई–नीलामी के परिचालन भाग पर सहायता मैनुअल को ठीक से पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें।
7. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई–नीलामी को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, सफल बोलीदाता को हमारे ऊपर उल्लिखित सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
8. सुरक्षित परिसंपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।
9. सफल नीलामी क्रेता/बोलीदाता को बोली राशि का 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) (अर्थात पहले जमा की गई ईएमडी राशि सहित) नीलामी के अंतिम रूप से समापन पर तुरंत जमा करना होगा, अर्थात उसी दिन या अगले कार्य दिवस से पहले नहीं। बोली/खरीद मूल्य की शेष राशि का भुगतान सफल नीलामी क्रेता/बोलीदाता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संपत्ति की बिक्री की पुष्टि के पंद्रहवें दिन या उससे पहले या क्रेता और सुरक्षित लेनदारों के बीच लिखित रूप में सहमत होने वाली ऐसी विस्तारित अवधि के दौरान किया जाएगा, जो किसी भी मामले में तीन महीने से अधिक नहीं होगी। निर्धारित समय के भीतर ऊपर बताई गई राशि जमा करने में विफल रहने की स्थिति में, सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि बैंक में जब्त कर ली जाएगी और प्राधिकृत अधिकारी को संपत्ति की नई नीलामी/बिक्री करने की स्वतंत्रता होगी और चूककर्ता बोलीदाता का जब्त की गई राशि और संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा।
10. भुगतान में चूकः बोली राशि (ईएमडी सहित) का 25 प्रतिशत उसी दिन या अगले कार्यदिवस पर भुगतान न करने पर जैसा कि ऊपर बताया गया है और/या निर्धारित समय के भीतर शेष बोली राशि का 75 प्रतिशत भुगतान न करने पर बिना किसी सूचना के बिक्री स्वतः रद्द हो जाएगी। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान की गई ईएमडी और कोई अन्य धनराशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बैंक को जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता संपत्ति या उस राशि के किसी भी हिस्से पर सभी दावों को खो देगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है।
11. सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री प्रतिफल का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–1ए के तहत टीडीएस के अधीन होगा और सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि का शेष 75 प्रतिशत जमा करने के समय ही टीडीएस जमा किया जाना है।
12. बिक्री प्रमाण पत्र में बोली में उल्लिखित नामों के अलावा किसी अन्य नाम को शामिल करने/प्रतिस्थापित करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम पर जारी किया जाएगा।
13. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी/सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य न हों या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।
14. बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के खिलाफ डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित किसी भी स्थगन/निषेध/रोक आदेश के संचालन के लंबित रहने तक बिक्री प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। बिक्री प्रमाणपत्र के निष्पादन तक सफल बोलीदाता द्वारा की गई जमा राशि को ब्याज रहित जमा खाते में रखा जाएगा। आंशिक या पूर्ण रूप से जमा राशि वापस करने/बिक्री को रद्द करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की स्थिति में, नीलामी को स्थगित या रद्द किया जा सकता है और इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों को प्राधिकृत अधिकारी/बैंक के खिलाफ ऐसे स्थगन या रद्दीकरण के लिए क्षतिपूर्ति, मुआवजा या लागत का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
15. इच्छुक क्रेता ऊपर उल्लिखित दिनांक और समय पर या बैंक द्वारा सूचित किए अनुसार अपने खर्च पर संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। बैंक के पास उपलब्ध शीर्षक दस्तावेज और अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए, इच्छुक बोलीदाता कार्यालय समय के दौरान पंजाब और सिंध बैंक की संबंधित शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
16. संपत्तियों को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जैसा है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जा रहा है और इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी स्वयं की विवेकपूर्ण स्वतंत्र जांच करनी चाहिए और संबंधित रजिस्ट्रार / एसआरओ / राजस्व रिकॉर्ड / अन्य वैधानिक अधिकारियों से बैंक के प्रभार के अलावा बिक्री कर, उत्पाद शुल्क / जीएसटी / आयकर जैसे किसी भी प्राधिकरण के भार और दावे / अधिकार / बकाया / प्रभार के बारे में सत्यापित करना चाहिए और अपनी बोलियां जमा करने से पहले संपत्ति पर शीर्षक प्रकृति, विवरण, सीमा, गुणवत्ता, मात्रा, स्थिति, भार, ग्रहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक बकाया आदि के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही इसे ऐसा माना जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के किसी भी तरह के भार/दावे/अधिकार/बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऑनलाइन बोली जमा करने के बाद बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी दावा शुल्क/भार, संपत्ति पर या किसी अन्य मामले आदि पर विचार नहीं किया जाएगा।
17. बैंक बिक्री के लिए पेश की गई संपत्ति के संबंध में कोई अनुमति/लाइसेंस, एनओसी आदि प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी बकाया जैसे पानी/सेवा शुल्क, हस्तांतरण शुल्क, बिजली बकाया, नगर निगम/स्थानीय प्राधिकरण/सहकारी आवास सोसायटी का बकाया या कोई अन्य बकाया, कर उगाही, शुल्क, हस्तांतरण शुल्क आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। सफल बोलीदाताओं को संपत्ति की खरीद के संबंध में आयकर के प्रावधानों का पालन करना होगा और लागू दरों के अनुसार अधिकारियों को कर का भुगतान करना होगा।
18. बोलीदाता को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैंक–अप आदि सुनिश्चित करना चाहिए। इंटरनेट विफलता, बिजली विफलता या तकनीकी गड़बड़ियों या ई–नीलामी को प्रभावित करने वाले किसी भी कारण/आकस्मिकता के कारण होने वाली किसी भी बाधा के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
19. यदि संपत्ति बैंक के प्रतीकात्मक कब्जे में है और बोलीदाता प्रतीकात्मक कब्जे में संपत्ति खरीद रहा है तो यह उनके अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर होगा।
20. बोली की वैधता, बोली की राशि, ईएमडी या बोलीदाता की पात्रता, बोलीदाता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के अधिकार, प्राधिकृत अधिकारी की व्याख्या और निर्णय के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, बैंक अपने विवेकानुसार बिक्री को बुलाने और किसी भी तारीख और समय पर संपत्ति को एक बार फिर से बिक्री के लिए रखने का हकदार होगा, जैसा कि बैंक द्वारा तय किया जा सकता है। किसी भी तरह के विवाद के लिए, बोलीदाता को संबंधित शाखा के संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से ही संपर्क करना होगा।
21. बिक्री सुरक्षित ऋणदाता बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है।
22. बिक्री SARFAESI अधिनियम और उसके तहत बनाए गए सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्त/नियम/प्रावधान और ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है। अधिक जानकारी के लिए यदि कोई संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकता है।

यह नोटिस सरफेसी सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के तहत उधारकर्ता और गारंटर (एलआरएस) को 15 दिनों की वैधानिक बिक्री नोटिस के रूप में भी माना जाएगा।

दिनांक: 07.02.2025, स्थान: गुड़गाँव

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक